48	रूनाबाई बेवा रामा जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाडा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रेवाराम, पार्वती, सुशीला, मंजाबाई पिता रामा जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाडा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147	0.918	0.918	
योग–			**0.918**	**0.918**	
49	सक्कोबाई बेवा रमलू जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाडा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, हीरालाल, मोतीलाल, मायाराम पिता रमलू जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाडा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	148	0.190	0.190	
योग–			**0.190**	**0.190**	
50	सियाराम पिता अन्तराम जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	156	0.465	0.465	
		160	0.402	0.402	
		152	1.003	1.003	पक्का मकान–1, कच्चा मकान–2, गौशाला–1
योग–			**1.870**	**1.870**	
51	छोटीबाई बेवा सजन, शोभाराम पिता सजन, स्वामी विनिता पिता सजन जाति, जयबाई पिता सेवन जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	157	0.929	0.929	कच्चा मकान–3, गौशाला–2
		153	0.696	0.696	
योग–			**1.625**	**1.625**	
52	सन्तराबाई बेवा बसन्ता, सुकरतीबाई बेवा देहलानसा, भैयाजी पिता देहलानसा, गनपती बाई पिता देहलानसा, लक्ष्मीबाई पिता देहलानसा, गंगियाबाई पिता देहलानसा, गंगा पिता देहलानसा, संतवती बेवा मुकुन्दी, रामगुलाम पिता मुकुन्दी, छोटेलाल पिता मुकुन्दी, कान्ति बेवा दशरथ] बबलू पिता मुकुन्दी, भैयाराम पिता देहलानसा, **चन्दन नाबालगि] चंचलेश नाबालगि पिता दशरथ संरक्षक माँ कान्ति** जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	174	0.166	0.166	
		170	0.243	0.183	
		176	3.072	1.925	
योग–			**3.481**	**2.274**	
53	राजाराम पिता रामसनेही जाति गोड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विसनू पिता रामसनेही जाति गोड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हाकम पिता रामसनेही जाति गोड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी केशरिया पिता रामसनेही जाति गोड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी क्रेशकुमारी पिता रामसनेही जाति गोड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	149	2.007	2.007	
योग–			**2.007**	**2.007**	
54	सब्बू पिता चहुआ जाति भरिया पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रखिया पिता चहुआ जाति भरिया पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, भोजलाल पिता नन्हा जाति भरिया पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	107	2.242	2.242	
योग–			**2.242**	**2.242**	
55	मुलाम पिता सिबरो जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	106	0.474	0.474	
योग–			**0.474**	**0.474**	
56	भैयालाल पिता हमेरसिंग जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुम्मोबाई बेवा ओमकार जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कमलेश पिता ओमकार जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी देवलाल पिता ओमकार जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जानकी पिता ओमकार जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मंगलो बेवा श्रीराम जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181	2.201	1.748	
योग–			**2.201**	**1.748**	
57	जगत पिता लक्षमन जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182	1.109	1.109	
योग–			**1.109**	**1.109**	
58	छोटेलाल पिता मकोदी जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	184	0.287	0.287	
		190	1.457	0.194	
योग–			**1.744**	**0.481**	
59	गिब्बा पिता साकूराम जाति भरीया पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बब्बू पिता साकूराम जाति भरीया पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चदरवती पिता साकूराम जाति भरीया पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सनिया पिता साकूराम जाति भरीया पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुरजो बेवा साकूराम जाति भरीया पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187	1.100	1.100	
योग–			**1.100**	**1.100**	
60	भैयालाल पिता देहलान जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185	0.148	0.148	
योग–			**0.148**	**0.148**	
61	चन्द्रबती पति जगतसीग जाति गोड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	186	0.574	0.574	कच्चा मकान टीन शेड–1, पक्का मकान–1, कच्चा मकान–1, गौशाला–1, पानी का टांका–2
योग–			**0.574**	**0.574**	
62	दहलान पिता बसंता जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	189	0.295	0.295	
		166	2.521	1.405	कच्चा मकान–3, गौशाला–1, चबूतरा–1, शौचालय–1, पक्का मकान–1
योग–			**2.816**	**1.700**	
63	बिराजो बेवा सब्बू जाति गोड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	171	0.624	0.624	
योग–			**0.624**	**0.624**	
64	भागचन्द पिता लक्ष्मण जाति गोड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	123	1.543	1.543	
योग–			**1.543**	**1.543**	
65	सुकलाल पिता मिलकू जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165	4.030	1.711	पक्का मकान–1, अर्ध्दनिर्माण मकान पक्का–1, कच्चा कबेलूवाला मकान–2, गौशाला–2
योग–			**4.030**	**1.711**	
66	देवचंद पिता भागलाल जाति गोंड पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	164/2	2.000	1.079	
योग–			**2.000**	**1.079**	
67	सजन पिता सेवन जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जयबाई पिता सेवन जाति गोंड पता चकरपाट हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	155	0.364	0.032	
योग–			**0.364**	**0.032**	
68	शासकीय मध्यप्रदेश शासन पता छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शासकीय	67	0.405	0	
69	शासकीय मध्यप्रदेश शासन पता छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शासकीय	130	0.324	0	कच्चा मकान–4, पक्का मकान–5, शौचालय–2 पक्का मकान बीम तक–1, पानी का टांका–1
70	शासकीय मध्यप्रदेश शासन पता छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शासकीय	64	0.049	0	
71	शासकीय मध्यप्रदेश शासन पता छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शासकीय	151	0.255	0	कच्चा मकान–1
72	शासकीय नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	129	0.482	0	
73	शासकीय मध्यप्रदेश शासन पता छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शासकीय	39	1.145	0	
74	आबादी	74	0.214	0	पक्का मकान–7, पक्का मकान लेंटल लेवल तक–1, कच्चा मकान–12, शौचालय–8, गौशाला–3, कच्चा खण्डहर मकान–1
75	शासकीय नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	95	0.219	0	पक्का मकान–2, गौशाला–1
76	शासकीय नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	162/3	16.815	0	कच्चा मकान–1 गौशाला–1
योग–			**19.908**	**0.000**	
कुल योग			**214.899**	**181.582**	

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये सम्भावित कुटुम्ब की संख्या 161 है जिनके पुनर्व्यवस्थापन के लिये क्षेत्र चिन्हित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है-

ग्राम-चकरपाट के विस्थापन हेतु चयनित ग्राम कोटरा तहसील-हर्रई का खसरा न.23 रकवा 2.833 हे0, खसरा न. 26 रकवा 0.975 हे0, खसरा न. 25 रकवा 0.793 हे0, खसरा न. 35 रकवा 3.832 हे0, खसरा न. 38 रकवा 8.644 हे0, खसरा न. 39 रकवा 0.388 हे0, खसरा न. 40 रकवा 1.566 हे0, खसरा न. 218 रकवा 12.950 हे0 7

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक-281 / राजस्व शाखा/2026 जबलपुर दिनांक 12/05/2026 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। जिसका सार निम्नानुसार है-

(1) ग्रामीण क्षेत्र मे प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में 2400 वर्गफुट का भू-खंड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वास क्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को पांच लाख रूपए का एक बारगी संदाय दिया जावेगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रति मास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पचास हजार रुपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगे।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले को एक बार न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(9) कारीगरों एवं छोटे व्यापारियों को एक बार न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की वित्तीय सहायता दीजाएगी।

(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापन जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघातको कम करने का प्रयास कर सकें। युक्ति युक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(15) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(16) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(17) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(18) पशु के लिए पेय जल की व्यवस्था।

(19) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागाह।

(20) उचितमूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

(21) यथोचित पंचायत घर।

(22) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(23) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाहगृह।

(24) स्वच्छता के लिए सुविधायें जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।

(25) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।

(26) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवायें उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।

(27) निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय ।

(28) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

(29) भारत सरकार द्वारा यथा विहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

(30) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र।

(31) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।

(32) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा।

(33) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।

(34) मानको के अनुसार पशु पालन सेवा केन्द्र।

(35) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील हर्रई के ग्राम-चकरपाट के विस्थापन हेतू चयनित ग्राम कोटरा तहसील-हर्रई का खसरा.न 23 रकवा 2.833 हे0, खसरा न. 26 रकवा 0.975 हे0, खसरा न. 25 रकवा 0.793 हे0, खसरा न. 35 रकवा 3.832 हे0, खसरा न. 38 रकवा 8.644 हे0, खसरा न. 39 रकवा 0.388 हे0, खसरा न. 40 रकवा 1.566 हे0, खसरा न. 218 रकवा 12.950 हे0 है।

(36) शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेज-2) शक्कर बांध अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 2400 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड चिन्हांकित खसरों के आवंटन पश्चात, प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(37) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधाये प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र मे निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(38) अधिनियम की धारा 3 धारा 3 (c) & 3 (m) के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एव लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेज-2) के अंतर्गत शक्कर बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध मे।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे मे हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.mp.gov.ind मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-अमरवाडा जिला-छिंदवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर सभाग नरसिंहपुर जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय मे कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर सभाग नरसिंहपुर जिला-नरसिंहपुर के कार्यालय मे कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हरेंद्र नारायन)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

G17021/26

प्रधानघोघरी में निकली भव्य हर घर तिरंगा रैली

नवभारत न्यूज
मोहखेड़, 12 अगस्त, शासकीय हाई स्कूल प्रधानघोघरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में विद्यालय के बालक-बालिकाओं के साथ समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं, पंचायत प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लेकर विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारों के साथ गांव में रैली निकाली और ग्रामीणों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया।

रैली का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना रहा। रैली के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। तिरंगे के साथ निकली रैली ने पूरे गांव में देशभक्ति का माहौल बना दिया।

कार्यक्रम में प्राचार्य रामाजी पाठे, गुलाबराव आलोनकर, सुश्री ज्योति शुक्ला, बलदेव सिंह उइके, रामकुमार भादे, श्रीमती शांति देशमुख, श्रीमती वंदना उइके, नारायण राऊत, सुश्री नैनी तुरकर, श्रीमती पुष्पा ताई एवं पंचायत सचिव शंकरलाल डेहरिया सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ, छात्र-छात्राएं एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पौधारोपण में सीड बाल का प्रयोग नवाचार तकनीक अपना रहे पर्यावरण हितैषी

नवांकुर सखी हरियाली यात्रा में पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, महिलाओं को किया सीड वॉल वितरण

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा, 12 अगस्त, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड एवं जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत सेक्टर नम्बर 5 की नगर विकास प्रस्फुटन समितियों एवं नवांकुर संस्था के तत्वावधान में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का आयोजन शहर की हरियाली स्थली धरम टेकड़ी में दिन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम में माताओं-बहनों, छात्र-छात्राओं एवं गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम में जिला समन्वयक अखिलेश जैन, पर्यावरण विद राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रोटे विनोद तिवारी, परामर्शदाता श्रीमति तृप्ति सिंह, श्रीमति लता नागले, आशीष साहू डॉ चंद्रकांत विश्वकर्मा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पर्यावरण मित्रों ने वृक्षों का पूजन कर प्रकृति पूजन एवं प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। सभी ने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करने तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प व्यक्त किया।इस अवसर पर एस पी ऑफिस से धर्मटेकडी तक हरियाली यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव जागृत करने का संदेश दिया गया। महिलाओं की सहभागिता ने यात्रा को विशेष गरिमा प्रदान की। उपस्थित महिलाओं को पौधे वितरण किये गए इस हरियाली यात्रा में सीड वॉल भी वितरित विशेष आकर्षण का केंद्र रहा उपस्थित लोगों ने इसकी खुल कर प्रशंसा करते हुए कहा कि ये जन अभियान परिषद का नवाचार है जिसमें प्रस्फुटन समिति ने सीड बाल तैयार की और नवांकुर संस्था ने इसे उपस्थित सभी पर्यावरण हितैषियों को वितरित की सभी ने सीड बाल लेकर पर्यावरण के प्रति संजगता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया हरियाली और वृक्षों के सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्व पर संवाद करते हुए हरियाली यात्रा की जानकारी मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने उपस्थित जनसमुदाय को प्रदान की। श्री जैन ने हरियाली एवं वृक्षों के सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति के अभिन्न अंग माने गए हैं इनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदार है। पर्यावरण विद रोटे विनोद तिवारी ने कहा कि वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन सुरक्षित करने का संकल्प है। वृक्ष हमें प्राणवायु, छाया, फल, औषधि और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पौधरोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की निरंतर देखभाल करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अन्य वक्ताओं ने सभी उपस्थित जनों को हरियाली एवं प्रकृति संरक्षण की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर हर घर तिरंगा, नशामुक्ति और स्वच्छता का संदेश कार्यकम में दिया गया। कार्यक्रम में परामर्शदाता श्रीमति तृप्ति ठाकुर, श्रीमति लता नागले, आशीष साहू, नवांकुर संस्था के डॉ चंद्रकांत विश्वकर्मा, रवि सिंह चंदेल, समाज सेवी श्रीमति मीरा पराड़कर, श्रीमति अलका शुक्ला उपस्थित थे।

तामिया में 20 लाख का घोटाला

नवभारत न्यूज
तामिया, 12 अगस्त, सरपंच-सचिव-उपयंत्री के साथ सीईओ और एसडीओ की भूमिका पर उठे सवाल जनपद पंचायत तामिया के अंतर्गत ऐसे बहुत से मामले भ्रष्टाचार के मांडलिक सीईओ के अंतर्गत आए हैं। जनपद पंचायत तामिया की ग्राम पंचायत घुसावानी में मनरेगा के तहत कागजों पर 4 शेल्टर बनाकर 20.30 लाख रुपये के भुगतान का मामला सामने आया है।

ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव, सहायक उपयंत्री के साथ जनपद पंचायत सीईओ और एसडीओ पर भी लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2022-23 और 2023-24 में स्कूल खाती राजढाना, गोरुवाली खाती वीरपठार, राजढाना खाती और मूरगल जोड़ी खाती में शेल्टर निर्माण स्वीकृत हुए। कुल लागत 20.30 लाख रुपये है। वर्क कोड डीपी/22012034608032 पर वर्ष 2023-24 में भुगतान भी कर दिया गया।ग्रामीणों का आरोप है कि धरातल पर एक भी शेल्टर नहीं बना। इसके बाद भी सरपंच और सचिव ने राशि निकाली। सहायक उपयंत्री ने बिना भौतिक सत्यापन ओके रिपोर्ट दी। परिवहन के नाम पर फर्जी वेंडर को भुगतान किया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि फाइलें जनपद पंचायत सीईओ और एसडीओ के स्तर से भी पास हुई, इसलिए पूरी जवाबदेही तय हो। उन्होंने कलेक्टर से मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्यवाही नहीं हुई तो 181 पर की जाएगी शिकायत।